FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

नागभारती बनाम हीराराम

किस्म मुकदमा रा. आवेदन धा. 128 नं. 286/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/09/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 128, RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/10/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस दस्ती के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल [illegible] आगामी दिनांक 24/12/[illegible] [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:56 IST
Reason: SelfAttested

24/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि लेहो लेट आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के डोलों का ~~लेकर~~ लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (बिजा) को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबन्दी मौके [illegible] जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने [illegible] पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1490 दिनांकः– 24/12/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. नागभारती पुत्र गोरखभारती जाति स्वामी, निवासी स्वामी की ढाणी पटवार मण्डल भणियाणा जिला जैसलमेर	1. हीराराम पुत्र पेलादराम वगैरा 3 जाति जाट, निवासी परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 286 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –परेउ, पटवार मण्डल – परेउ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 905 / 175 रकबा 2.00 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1491 - 1495 दिनांकः– 24/12/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का परेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नागभारती पुत्र गोरखभारती।
4. विप्रार्थी श्री हीराराम पुत्र पेलादराम वगैरा 3।
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु